बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

का0आ0सं0–भवन/भू–सम्पदा–01–आवास–(विनियमन)–04/2025 151 पटना, दिनांक 13/11/26

'कार्यालय आदेश'

श्री प्रेम कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना को आवंटित आवास सं0–11/400, राजवंशीनगर, पटना को आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली, 1986 के नियम–11(2) में निहित प्रावधान के आलोक में निम्नरूपेण किराया चुका दिए जाने की शर्त्त पर उनका पटना में पुनः पदस्थापन के उपरांत दिनांक–26.10.2018 से विनियमित किया जाता है :–

(क) पटना से बाहर स्थानांतरण के उपरांत 1 माह के लिए मानक किराया पर (दिनांक–18.11.2017 से 17.12.2017 तक)।

(ख) उक्त माह के बाद तीन महीने तक पुत्री की शिक्षा हेतु मानक किराए के दो गुणा दर पर (दिनांक–18.12.2017 से 17.03.2018 तक)।

(ग) उपर्युक्त चार महीने की अवधि के बाद पटना में पुनः पदस्थापन की तिथि तक नियमानुसार बजार–सह–दण्ड किराया की दर पर (दिनांक–18.03.2018 से 25.10.2018 तक)।

2. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–

(स्वेतांक सुमन)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–भवन/भू–सम्पदा–01–आवास–(विनियमन)–04/2025 10662 (1) पटना, दिनांकः– 13/11/26

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना/सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/श्री प्रेम कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना/कार्यपालक अभियंता, कर प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता, पटना पश्चिम भवन प्रमण्डल, दानापुर, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/11/26
सरकार के अवर सचिव।